गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.04.2023 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
14.	डॉ0 बी.आर. रावटे	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एस.सी. तिवारी
2. प्रो0 एम.के. सिंह

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा 11 से 11:30 माननीय प्रधान मंत्री जी के मन की बात सुनी तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

30/04/2023

30/04/23

विषय क्र. 03. **विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों हेतु जारी विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों हेतु विषयवार स्क्रूटनी समिति के गठन के संबंध में विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय तथा यथाआवश्यक संवीक्षण समिति में अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

विषय क्र. 04. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और IPLA के मध्य Memorandum of Understanding for Academic and Research Cooperation समझौता ज्ञापन पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और IPLA के मध्य Memorandum of Understanding for Academic and Research Cooperation/समझौता ज्ञापन प्रारूप का अनुमोदन किया जाय एवं समक्षौता हस्ताक्षर कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 05. **विश्वविद्यालय परिसर में डे केयर केन्द्र/क्रेच की स्थापना पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि उक्त केन्द्र का नाम "किलकारी" अनुमोदित किया जाय तथा इस व्यवस्था को डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संशोधनों के साथ अनुमोदन किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.–1 शिक्षा विभाग में संचालित बी.एड़ विशेष शिक्षा अधिगम अक्षमता एवं बी.एड़ विशेष शिक्षा श्रवण बाधिता पाठ्यक्रमों की परीक्षा वार्षिक परीक्षा प्रणालि के अनुसार किये जाने पर विचार संबंधी।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा विभाग में संचालित बी.एड़ विशेष शिक्षा अधिगम अक्षमता एवं बी.एड़ विशेष शिक्षा श्रवण बाधिता पाठ्यक्रमों की परीक्षा वार्षिक परीक्षा प्रणालि के प्रकरण को स्थगित रखा जाय।

अ.अ.वि.क्र.–2 छात्रा रिया सिंह, एम.एससी प्रथम सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी की शुल्क वापसी पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक डी.ओ.संख्या 2–71/2022(CPPII) दिनांक 02.08.2022 में प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में 1000 रूपये प्रसंस्करण शुल्क की कटौती कर शेष राशि संबंधित छात्रा को वापस कर दी जाय।

30/04/2023 30/4/23

अ.अ.वि.क्र.–3 नवीन निर्माण योजनाओं जिसमें चार भवनों का ऊर्ध्वाधर विस्तार एवं शारीरिक शिक्षा विभाग हेतु भवन के प्रस्ताव HEFA Window-III के अंतर्गत प्रस्तुत करने पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

30/4/23
कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

30/04/2023
कुलपति / अध्यक्ष